MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/22481 दिनांक 21 मार्च, 2020

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड़ प्रकिया संहिता)

मुझे अवगत करवाया हैं कि भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) का संक्रमण पाया गया हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता हैं।

उक्त परिस्थतियो से मेरा समाधान हो गया हैं एवं मैं संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया भीलवाड़ा जिले में निवासरत नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं केन्द्रीय लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड़ प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं **राजेन्द्र भट्ट, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** पूर्व में भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांकः 22459 दिनांक 19/03/2020 की निरन्तरता में नागरिको के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से भारतीय दण्ड़ प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भीलवाड़ा **जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण) में स्थापित एवं संचालित समस्त उद्योगो, फैक्ट्रियो, ईट–भट्टो में पूर्णतः कार्य प्रतिबंध की निषेधाज्ञा लागू करता हूँ तथा अन्य समस्त संचालित ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान, जिनमें 10 से अधिक कार्मिक/श्रमिक कार्य करते हैं, में पूर्णतः कार्य प्रतिबंध की निषेधाज्ञा लागू करता हूँ।**

मैं जिले के सभी नागरिको को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशो का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957** तथा अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नही है। अतः एकपक्षीय आदेश जारी किया जाकर भीलवाड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सर्व साधारण की जानकारी हेतु जिले के समस्त मुख्य–मुख्य स्थानो पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रो एवं स्थानीय समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावे।

उक्त आदेश की पालना का उत्तदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, प्रबन्धक रिको, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूष्ण नियंत्रण मण्ड़ल, उप श्रम आयुक्त का होगा।

यह आदेश आज दिनांक 21 मार्च, 2020 रात्री 12.00 बजे से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा।

21/3/2020

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. महानिरीक्षक, पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर
6. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान राज्य
7. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियो को पालना सुनिश्चित कराने हेतु भिजवाया जाकर पालनासुनिश्चित करावे।
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
9. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
12. समस्त पुलिस उप अधीक्षक, जिला भीलवाड़ा
13. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
14. महा–प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा
15. प्रबन्धक, रीको, भीलवाड़ा
16. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, भीलवाड़ा
17. उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा
18. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं किउक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में विशेष कार्ययोजना तैयार कर समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करे।
19. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा
20. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
21. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
22. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
23. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
24. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा को उक्त आदेश का समाचार पत्रो, मिडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। मिडिया कवरेज में प्रमुखता दी जावे।
25. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
26. प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय
27. समस्त थानाधिकारी जिला भीलवाडा (द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाडा) को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रो के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित कराया जावे एवं पालना सुनिश्चित करायीं जावे।

2/3/2015

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा